

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 341/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-11-2022	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी गांव व पोस्ट शिकारपुरा तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.08.2022 में (1) कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर में वर्ष 1986 (01.04.1986 से 31.12.1987) तक पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की नियमानुसार प्रमाणित प्रति देने, से संबंधित सूचना के लिए, लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र में वर्णित सूचना संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 1451 दिनांक 06.09.2022 द्वारा प्रेषित कर 7 दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु अभी तक सूचना अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना दिलाये जाने के निर्देश देने की प्रार्थना की।</p> <p>चूंकि प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा से सूचना तैयार नहीं की गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, कलक्टर कार्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	